इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 433] भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 2013—भाद्र 25, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8192-261-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ४ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' दिनांक १६ सितम्बर, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश विधान-मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १६ सन् १९६७ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश विधान-मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १६ सन् १९६७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(एक) मद ९८ में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पश्चात्, शब्द ''और उपाध्यक्ष'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(दो) मद ९८ के पश्चात् निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

''९९. मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१००. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१०१. मध्यप्रदेश मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१०२. मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१०३. भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.''.

राम नरेश यादव
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल :
तारीख १३ सितम्बर २०१३

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8193-261-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 4 of 2013

THE MADHYA PRADESH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2013

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th September, 2013.]

Promulgated by the Governor in the Sixty-fourth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967.

Whereas, the Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgated the following Ordinance :—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2013.

Madhya Pradesh Act No. 16 of 1967 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Section 3.

Amendment of Schedule.

3. In the Schedule to the principal Act,—

(i) in item 98, after the word "Chairman", the words "and Vice-Chairman" shall be inserted;

(ii) after item 98, the following items shall be added, namely :—

"99. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh State Mining Corporation;

100. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam;

101. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Mela Pradhikaran;

102. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit;

103. The Chairman and Vice-Chairman of the Bhopal Development Authority.".

RAM NARESH YADAV
Governor
Madhya Pradesh.

BHOPAL :
Dated the 13th September, 2013.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.